प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

यह प्रतिवेदन 'जिला खनिज संस्थान न्यास सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन' पर वर्ष 2015-16 से 2023-24 की अवधि को सम्मिलित करते हुए किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए। जहां भी आवश्यक रहा हो, 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरण भी शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।